# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1017/2018 .....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स के.डी. टिम्बर LLP, हनुमान नगर, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत–आई, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12/09/2018 | **खण्डपीठ**<br>**श्री के.एल. जैन, सदस्य**<br>**श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य**<br><br>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक हंसारिया एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के. बैद उपस्थित।<br><br>प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु पारित व्यवहारी के कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.02.2018 में सृजित मांग राशि पर रोक के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत जारी आदेश में बकाया विवादित मांग राशि रू0 10,57,652/– में से रूपये 1250/– की वसूली को स्थगित किया है। अपीलार्थी ने उक्त अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए बकाया समस्त विवादित मांग की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की है।<br><br>उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।<br><br>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने का कथन है कि आलौच्य अवधि में क्लेम किए गए आई.टी.सी. राशि रूपये 54,62,709/– में से रूपये 8,75,545/– का आई.टी.सी. का समायोजन नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा नगद जमा कराई गई राशि का भी समायोजन नहीं किया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि व्यवहारी द्वारा जिन व्यवहारियों से माल क्रय किया गया है, उनमें से यदि किसी व्यवहारी का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता तो उसके द्वारा सम्बन्धित अवधियों की रिटर्न विधिवत फाईल कर विक्रय संव्यवहारों को घोषित किया गया है तो क्रेता व्यवहारी को आई.टी.सी. के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अनुचित बताते हुए अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक बकाया मांग राशि रू. 10,57,652/– को स्थगित करने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:–<br><br>1) राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2016 सी.टी.ओ. बनाम नवीन एण्ड कम्पनी (अपील संख्या 640/2012/श्रीगंगानगर)<br>2) कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2013 ए.सी.टी.ओ. बनाम शिव स्टोन क्रेशर (अपील संख्या 724/2012/श्रीगंगानगर)<br><br>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।<br><br>निरन्तर.....2 | |

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1017/2018 .....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स के.डी. टिम्बर LLP, हनुमान नगर, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत–आई, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12/09/2018 | – 2 –<br>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में उन्होंने व्यवहारी द्वारा चाहे गये स्थगन को निरस्त करने का कोई विधिक कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। चूंकि प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है एवं प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर बकाया मांग राशि रूपये 10,57,652/– की वसूली को इस शर्त पर स्थगित किया जाता है कि व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करेगा। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।<br>**अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति के तीन माह के भीतर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।**<br>अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।<br>आदेश प्रसारित किया गया।<br><br>(ओमकार सिंह आशिया)<br>सदस्य<br><br>(के.एल.जैन)<br>सदस्य | |